कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा) जिला – सुकमा (छत्तीसगढ़)

Phone & Fax No.: 07864-284666, E-Mail: actwd.cgskuma@gmail.com

क्रमांक/आ.वि./EMRS/2026-26/ 29

सुकमा, दिनांक 06./04/2026

// आदेश //

भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक NESTS/NESTS-Circulars/129/2025-26/ Dated 09/10/2025 में जारी निर्देशानुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालाटिकरा छिन्दगढ़, जिला.सुकमा (छ.ग.) के प्रभावी संचालन में आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से सत्र 2026.27 हेतु निम्नानुसार ई.एम.आर.एस. प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है।

क्रमांक	अधिकारी का नाम/पदनाम	समिति में पद
1	कलेक्टर जिला सुकमा	अध्यक्ष
2	परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोंटा मुख्यालय सुकमा	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा	सदस्य
4	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन)	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सुकमा	सदस्य
6	उप.प्राचार्य / विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक	सदस्य
7	प्राचार्य, ई.एम.आर.एस. सुकमा	सदस्य
8	कौशल्या ठाकुर, पार्षद वार्ड क्र.10 नगर पंचायत, दोरनापाल	सदस्य
9	ईश्वर सिंह बघेल, शिक्षक शा. विद्यालय, रोकेल, सुकमा	सदस्य
10	प्राचार्य, ई.एम.आर.एस. बालाटिकरा छिन्दगढ़, सुकमा	सदस्य सचिव

ई.एम.आर.एस. प्रबंधन समिति के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व –

1. विद्यालय हेतु NESTS द्वारा प्राप्त निधियों के व्यय पर नियंत्रण रखना, धनराशि की सुरक्षित अभिरक्षा, सही वितरण तथा खर्च के प्रति सतर्कता सुनिश्चित करना।
2. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करना एवं उनकी समीक्षा करना, जिसमें आवर्ती एवं नवीन व्यय मदें ;जैसे – फर्नीचर, उपकरण, भवन के जीर्ण.मरम्मत संबंधी मद) का औचित्य शामिल हो।
3. विद्यालय के उचित संचालन एवं कार्यप्रणाली पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना, जिसमें छात्रों एवं स्टाफ सदस्यों में अनुशासन बनाए रखना शामिल है।
4. विद्यालय के सुचारू संचालन पर सामान्य निगरानी रखना, जिसमें विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना शामिल है।
5. छात्रावासों के संचालन की निगरानी करना, जिसमें भोजन व्यवस्था तथा समय प्रबंधन शामिल है।
6. विद्यालय के प्रभावी संचालन हेतु किसी भी सुधार, परिवर्तन अथवा प्रक्रियागत संशोधन के संबंध में सुझाव देना।
7. संस्थान के कार्य एवं विकास को सुदृढ़ करने हेतु स्थानीय सहयोग एवं सहायता प्राप्त करने में विद्यालय की सहायता करना।
8. विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा एवं अनुमोदन करना।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास सुकमा